रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2019/माघ 26, 1940
No. 104] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2019/MAGHA 26, 1940

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी. प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फ़रवरी, 2019

सा.का.नि. 120(अ)—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 132 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा न्यासी बोर्ड द्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास के लिए बनाए गए तथा इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निर्धारित कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 को अनुमोदित करती है।

2. उक्त संशोधित विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीनदयाल पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड एतद्द्वारा कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2009 को आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:

1. **संक्षिप्त शीर्ष तथा प्रारंभ** – (1) इन विनियमों को कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के अंतर्गत यथापेक्षित केंद्र सरकार के अनुमोदन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2009 के विनियम 3 में, अनुच्छेद (ट) के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद को जोड़ा जाए, नामत:-

"(टा) 'नियमित सेवा' किसी भी श्रेणी के संबंध में, का अर्थ है उक्त श्रेणी की नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनियमों के तहत उसमें चयन एवं नियुक्ति के बाद की गई सेवा की अवधि या अवधियां और इसमें कोई भी अवधि या अवधियां शामिल होंगी-

(i) विनियमों को अधिसूचित करने के समय, जो पहले से ही सेवारत हैं, उनके मामले में वरिष्ठता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए;

(ii) जिसके दौरान कोई कर्मचारी उक्त श्रेणी का कोई पद धारित किए हुए होता लेकिन छुट्टी पर रहने या अन्य कारणों से ऐसा पद धारित करने के लिए उपलब्ध न हुआ हो।"

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम, संख्या सा.का.नि. 767 (अ) दिनांक 20 अक्तूबर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात निम्नलिखित संख्याओं के तहत संशोधित किए गए थे-

(i) सा.का.नि. 551 (अ), दिनांक 07 जुलाई, 2015;

(ii) सा.का.नि. 1124 (अ), दिनांक 09 दिसम्बर, 2016;

(iii) सा.का.नि. 545 (अ), दिनांक 02 जून, 2017; और

(iv) सा.का.नि. 852 (अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2018

[मि. सं. पी.आर.-12012/9/2016-पी.ई.-1]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2019

G.S.R. 120(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves with modification the Kandla Port Trust Employees (Recruitment Seniority and Promotion) Amendment Regulation, 2019, made by the Board of Trustees for the Port of Deendayal, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said amendment regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Deendayal Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2009, namely:

1. Short Title and Commencement.—(1) These regulations may be called the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government, as required under the provisions of section 124 and 132 of Major Port Trust Act, 1963, in the Gazette of India.

2. In the Kandla Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2009, in regulation 3, after clause (k), the following clause shall be inserted namely:-

(ka) "regular service', in relation to any grade, means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under the regulations according to the prescribed procedure for regular appointment to that grade and includes any period or periods-

(i) taken into account for the purpose of seniority in case of those already in service at the time of notification of the regulations;

(ii) during which an employee would have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post;".

Footnote : The Principal regulations were published in the Gazette of India, extraordinary, *vide* number G.S.R. 767 (E) dated the 20th October, 2009 and was subsequently amended *vide* number-

(i) G.S.R. 551 (E) dated the 7th, July, 2015;

(ii) G.S.R. 1124 (E) dated the 9th , December , 2016;

(iii) G.S.R. 545 (E) dated the 02nd , June, 2017; and

(iv) G.S.R. 852(E) dated the 10th , September, 2018.

[F. No. PR-12012/9/2016-PE-I]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.16 16:07:06 +05'30'